


राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर
क्रमांक: प.1/प्रति-4/अ.प्र.अधि./पदो./2014/18021
आदेश

दिनांक: 19-12-18

राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर उक्त नियमों के नियम 33 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अति.प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल-11 में निम्नानुसार पदोन्नत किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	संवर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	ओम प्रकाश उपाध्याय	सामान्य	2018-19	01.10.18	उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, भीलवाडा

नोट:- कार्मिक आदेश जारी होने के 15 दिवस में वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।


(स्नेहलता पंवार)
निदेशक

दिनांक 19-12-18

क्रमांक: प.1/प्रति-4/अ.प्र.अधि./पदो./2017/18021
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
3. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, भीलवाडा
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
5. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड एवं मैल करने बाबत।
6. प्रभारी अधिकारी, गोपनीय शाखा, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर
7. संबंधित कार्मिक
8. सामान्य पत्रावली


अति.निदेशक(आयु)